FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0059 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/03/2026 17:44 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शुक्रवार **Date From (दिनांक से):** 14/11/2025 **Date To (दिनांक तक):** 14/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 16:15 बजे **Time To (समय तक):** 17:43 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/03/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/03/2026 17:44:24 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 03 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALAY LOKAL FAND AVM ANKEKSHN VIBHAG KE PASS, JODHPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PARVEEN GAHLOT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LAL SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1983 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	8A, 7th, GALI PAWATA C ROAD, SAI SARITA PAWATA, JODHPUR, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	8A, 7th, GALI PAWATA C ROAD, SAI SARITA PAWATA, JODHPUR, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	TEJARAM RAWAL		पिता:RAJURAM RAWAL	1. MUKAM POST GAGORA VAYA GULABPURA,BHILAWARA,BHILWARA,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर। विषयः- रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत। महोदय जी उपरोक्त विषय के क्रम में निवेदन है कि मैं प्रवीण गहलोत पुत्र श्री लालसिंह जी उम्र 43 साल जाति माली पैशा नौकरी निवासी पावटा सी रोड़ 7 वीं गली जोधपुर हाल सूचना सहायक सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर में कार्यरत हूं। गत वर्ष मैनें डिप्लामा इन साईबर सिक्यूरिटी की कलासें विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश एवं सक्षम अधिकारियों से अनुमोदन के पश्चात ली गई। जिस पर मुझे विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार देय मानदेय दिया गया। वर्तमान में विश्वविद्यालय में लोकल फण्ड अंकेक्षण विभाग की टीम विश्वविद्यालय में वित्तिय एवं लेखाओं का अंकेक्षण कर रही है। आज से करीब 15 रोज पहले मेरे कार्यालय कक्ष में अंकेक्षण टीम के श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी उपस्थित होकर मेरे से मिले एवं उनके द्वारा किये जा रहे अंकेक्षण का हवाला देकर मुझे धमकाया कि आप द्वारा विश्वविद्यालय में सूचना सहायक के पद पर रहते हुए मानदेय उठाया गया है इस एवज में पैरा निकालूगां जिससे आपकी नौकरी भी जा सकती है। इस हेतु रूपये 1,00,000/- (एक लाख) देने होगें मेरे द्वारा राशि ज्यादा होने एवं इतनी राशि देने में असमर्थ होने की विनती क्रम में 20,000 रूपये (बीस हजार) लेने हेतु श्री तेजाराम सहमत हुआ। मैं श्री तेजाराम को 20,000 रूपये रिश्वत राशि नहीं देकर, रिश्वत लेते हुवे रंगे हाथो पकड़वाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूँ। मेरी श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी से कोई रंजिश व लेन-देन बकाया नहीं। कानूनी कार्यवाही करावें। भवदीय एस.डी. प्रवीण गहलोत पुत्र लालसिंह सांई सरिता 8 ए 7 वीं गली पावटा सी रोड़ जोधपुर (राज.) एस.डी.मनीष चौधरी 14/11/2025 कार्यवाही पुलिस दिनांक 14.11.2025 वक्त 0415 पी.एम. इस समय परिवादी श्री प्रवीण गहलोत पुत्र श्री लालसिंह जी उम्र 43 वर्ष जाति माली पैशा नौकरी निवासी सांई सरिता पावटा 8ए 7 वीं गली पावटा सी रोड़ जोधपुर हाल सूचना सहायक सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर ने उपरोक्त तथ्यो की एक शिकायत मय दस्तावेज मन मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दरियाफत पर बताया कि मैं सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक विश्वविद्यालय में सूचना सहायक के पद पर पदस्थापित हूं। मैनें गत वर्ष विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित आदेश की पालना में डिप्लामा इन साईबर सिक्यूरीटी की आफलाईन कलासें लेने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय दिया गया था। वर्तमान में लोकल फण्ड अंकेक्षण विभाग जोधपुर की टीम द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त एवं लेखाओं का अंकेक्षण किया जा रहा है। अंकेक्षण टीम के सदस्य श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी मुझे मानदेय नियम विरूद्ध प्राप्त करने का कहकर अंकेक्षण रिपोर्ट में पैरा निकालकर नौकरी छीनने की धमकी देकर रिश्वत राशि 20,000 रूपये की मांग की जा रही है। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त शिकायत में अंकित सभी तथ्य सही है साथ ही बताया कि श्री तेजाराम द्वारा मांगी गई राशि विश्वविद्यालय में कार्यरत श्री रवि कुमार कनिष्ट लेखाकार को देने का कहने पर मैं श्री रवि कुमार से मिला मगर रवि कुमार ने स्पष्ट तौर पर कोई राशि अपने या किसी अंकेक्षण सदस्य के लिए लेने से मना करते हुए मेरे को मिलने से मना किया है। इसलिए अब मैं यदि इस क्रम में रवि कुमार से मिलता हूं तो वह मेरी शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन को कर देगा तथा राशि प्राप्त नहीं करेगा व श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी को भी बता देगा। श्री तेजाराम द्वारा मांगी जा रही राशि वह मेरे से ही प्राप्त कर लेगा। परिवादी श्री प्रवीण गहलोत की रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से मामला प्रथम द्रष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय से बाहर होने से जरिये फोन समस्त हालात निवेदन किये जिस पर उनके द्वारा अन्य राजकार्य में व्यस्त होने का कहकर मन निरीक्षक पुलिस को अग्रीम मांग सत्यापन एवं ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिये गये जिस पर मन मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के श्री प्रकाश कानि. 265 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर, बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री प्रवीण गहलोत पुत्र श्री लालसिंह जी उम्र 43 वर्ष जाति माली पैशा नौकरी निवासी सांई सरिता पावटा 8ए 7 वीं गली पावटा सी रोड़ जोधपुर हाल सूचना सहायक सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर का आपस में परिचय करवाकर मोबाईल नम्बरों का आदान-प्रदान करवाया गया। मन निरीक्षक पुलिस ने कार्यालय डीवीआर में एक नया मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर के संचालन की विधि परिवादी श्री प्रवीण गहलोत एवं श्री प्रकाश कानि. 265 को समझाई गईं, तथा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को श्री प्रकाश

कानि. 265 को सुपुर्द कर परिवादी श्री प्रवीण गहलोत व श्री प्रकाश कानि. को आवश्यक हिदायत के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाकर लाने हेतु परिवादी की निजी कार से श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी के पावटा स्थित कार्यालय की तरफ रवाना किया गया। वक्त 0615 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रवीण गहलोत व श्री प्रकाश कानि. रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु गये हुए हाजिर ब्यूरो चौकी आये एवं प्रकाश कानि. 265 ने डीवीआर मय मैमोरी कार्ड स्वीच आफ शुदा मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया तथा परिवादी श्री प्रवीण गहलोत ने मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैं व श्री प्रकाश कानि. मेरे निजी वाहन से पावटा स्थित लोकल फण्ड अंकेक्षण विभाग जोधपुर कार्यालय के पास पहुचें। जहां पर मैनें मेरे गोपनीय सूत्रो से श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी की उपस्थिति के बारे में ज्ञात किया तो ज्ञात हुआ कि श्री तेजाराम कार्यालय भवन के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ खड़े है। जिस पर शीघ्र ही श्री प्रकाश कानि. ने मन प्रवीण गहलोत को आवश्यक हिदायत देकर साथ लाये डीवीआर मय मैमोरी कार्ड आन कर सुपुर्द किया तथा श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी से वार्ता करने के लिए उनके कार्यालय की ओर रवाना किया। मैं वहां से रवाना होकर कार्यालय भवन के मुख्य द्वार पर पहुचां जहां पर श्री तेजाराम जी बाहर खड़े मिले जिनसे मेरी अंकेक्षण रिपोर्ट में आडिट पैरा निकालने के संबंध में वार्ता हुई वार्ता के दौरान उन्होनें मेरे से इच्छानुसार रिश्वत राशि देने की बात कही मैनें राशि कितनी देने के बारे में पूछा तो उन्होनें कहा कि आपका काम कर दूगां आप, अपने हिसाब से दे देना जिस पर मैनें उनके द्वारा तय की गई राशि 20,000 रूपये देने की बात कहने पर उन्होनें हां कहकर रिश्वत राशि की मांग की एवं आज एक शराब की बोतल दिलाने की बात कही जिस पर मैनें शराब के लिए फोन पे करने की बात कही तो उन्होनें फिर रवि कुमार का नाम लिया जिस पर मैनें अपने पास से 1000 रूपये निकालकर नकद राशि श्री तेजाराम को दी है उक्त वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर मय मैमोरी को आन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये कथनों की ताईद होकर रिश्वती राशि मांग करने की पुिष्ट हुई। जिस पर उस रोज कार्यालय समय समाप्त हो जाने पर अग्रीम ट्रेप कार्यवाही दिनांक 15.11.2025 को करने का निर्णय लिया गया एवं डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के अपनी अलमारी में लाक कर सुरक्षित रखा गया। ताबाद परिवादी श्री प्रवीण गहलोत को श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000/-रूपये साथ लेकर कल दिनांक 15.11.2025 को प्रातः 10 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत के साथ रूखसत किया गया। दिनांक 15.11.2025 को अग्रीम ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह दो कार्मिको की आवश्यकता होने पर जरिये टेलीफोन अधीषाशी अभियंता नगर खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर से निवेदन करने पर उनके द्वारा कार्मिकों की कमी होने के कारण एक ही कार्मिक उपलब्ध करवाने की बात कही जिस पर एक कार्मिक ब्यूरो कार्यालय भिजवाने हेतु निवेदन किया गया तथा दूसरे स्वतंत्र गवाह के लिए सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर डिस्काम जोधपुर को जरिये टेलीफोन निवेदन करने पर उनके द्वारा एक कार्मिक शीघ्र भेजने हेतु कहा गया दिनांक 15.11.2025 को उपरोक्त देानों अधिकारीयों के नाम गवाह उपलब्ध करवाने हेतु पृथक-पृथक तहरीर क्रमांक 2131 व 2133 दिनांक 15.11.2025 जारी की गई। वक्त 1100 ए.एम. पर पूर्व से पाबंद शुदा परिवादी श्री प्रवीण गहलोत उपस्थित आया एवं मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 20,000 रूपये साथ लेकर आया हूं। वक्त 1130 ए.एम. पर पूर्व से पाबंद करवाये गये दो कार्मिक क्रमश कार्यालय अधिषाशी अभियंता नगर खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर एवं कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर डिस्काम जोधपुर से मेरे समक्ष उपस्थित आये। उपस्थित आये दोनों कार्मिको को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनको बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उनसे उनका बारी-बारी परिचय पूछने पर उनमें से एक ने अपना नाम जगदीश नारायण व्यास पुत्र श्री सत्यनारायण व्यास जाति ब्राह्मण उम्र 54 वर्ष पैशा नौकरी निवासी चैपासनी गांव होटल मरूगढ़ के पास जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता नगर खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर मोबाईल नम्बर व दूसरे ने अपना नाम दिलीप सिंह शेखावत पुत्र श्री गोपलसिंह शेखावत जाति राजपूत उम्र 32 वर्ष पैशा नौकरी निवासी गांव सेवा तहसील धोद पुलिस थाना सदर सीकर हाल तकनिशियन द्वितीय कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ आफिस जोधपुर डिस्काम जोधपुर मोबाईल नम्बर होना बताया। जिस पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री प्रवीण गहलोत व उपस्थित आये दोनों कार्मिकों का आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा दिनांक 14.11.2025 को प्रस्तुत शिकायत को दोनों कार्मिकों को पढ़ाया गया एवं दिनांक 14.11.2025 को परिवादी श्री प्रवीण गहलोत व संदिग्ध कर्मचारी श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी के मध्य वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन हुई वार्ता जो डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डीवीआर को अलमारी में से निकालकर रिकार्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंशो को सुनाया गया तो दोनों कार्मिकों ने शिकायत को पढ़कर, रिकार्ड वार्ता को सुनकर एवं परिवादी से तसल्ली से पूछताछ कर कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक सहमति प्रदान की तथा दोनों गवाहान ने परिवादी की शिकायत एवं संलग्न दस्तावेजों पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। वक्त 1205 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री प्रवीण गहलोत पुत्र श्री लालसिंह जी उम्र 43 वर्ष जाति माली पैशा नौकरी निवासी पावटा सी रोड़ 7 वीं गली जोधपुर हाल सूचना सहायक सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा आरोपी श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी, लोकल फण्ड अंकेक्षण विभाग जोधपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि मन मनीष चौधरी

निरीक्षक पुलिस के समक्ष पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री प्रवीण गहलोत ने आरोपी श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी, लोकल फण्ड अंकेक्षण विभाग जोधपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000/-रूपये पेश किये। परिवादी श्री प्रवीण गहलोत द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित करवाये गये। तत्पश्चात श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 20,000/-रूपये के नोटो को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 को सुपुर्द कर उक्त नोटों को अखबार के उपर रखवाकर उन पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री प्रवीण गहलोत की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश नारायण व्यास से लिरवाई जाकर परिवादी का मोबाईल फोन एवं निजी कार की चाबी को उनके पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त 20,000/-रूपये जो श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी, लोकल फण्ड अंकेक्षण विभाग जोधपुर को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री प्रवीण गहलोत के पहनी हुई जिन्स की आगे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000/-रूपये को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री प्रवीण गहलोत को हिदायत दी गई कि इस रिश्वत राशि को रास्ते में छुए नहीं एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वत राशि पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे हाथ दो-तीन बार फेरकर या मन् मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर के मोबाईल नंबर पर मिसकाल या काल कर रिश्वत राशि आदान-प्रदान होने का गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात् एक नये प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितान को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग, रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोलफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली-भांति समझाया गया। तत्पश्चात नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास एव जिस अखबार पर रखकर नोटों पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार एवं प्लास्टिक की गिलास को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से ही जलवाकर नष्ट करवाया गया। फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत राशि लेन-देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादी श्री प्रवीण गहलोत को छोड़¬कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर उनके पास विभागीय परिचय-पत्र एवं मोबाईल फोन पास में रहने दिया गया। इसके अलावा कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये। मन् निरीक्षक पुलिस ने खर्चे के 2,000 रूपये अपने पास रखे। उक्त् कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि एवं द्रष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियत कार्बोनेट तैयार कर मैनें अपने हस्ताक्षर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 1232 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी विश्वविद्यालय में उपस्थिति के बारे में परिवादी श्री प्रवीण गहलोत को अपने स्तर पर ज्ञात करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने अपने स्तर पर जानकारी कर बताया कि श्री तेजाराम विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं आये है जिस पर श्री तेजाराम की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु परिवादी श्री प्रवीण गहलोत का स्पीकर आन करवाकर उनके मोबाईल नम्बर से संदिग्ध कर्मचारी श्री तेजाराम के मोबाईल नम्बर पर काल करवाया गया मगर संदिग्ध कर्मचारी द्वारा फोन को रिसिव नहीं किया गया जिस पर कार्यालय में ही उपस्थित रहकर संदिग्ध कर्मचारी के विश्वविद्यालय में उपस्थिति होने एवं उनके मोबाईल फोन आने का ईंतजार किया। वक्त 0400 पी.एम. तक संदिग्ध कर्मचारी का परिवादी के फोन काल का इन्तजार किया मगर फोन काल नहीं आने एवं बार-बार फोन करने पर संदिग्ध कर्मचारी को शक होने की संभावना को मध्य नजर रखते हुए अग्रीम ट्रेप कार्यवाही अग्रीम कार्यदिवस सोमवार दिनांक 17.11.2025 को करने का निर्णय लिया जाकर गवाह श्री जगदीश नारायण व्यास से परिवादी की पहनी हुई जिन्स की आगे दाहिनी जेब में रखी रिश्वत राशि 20,000 रूपये निकलवाकर एक सफेद लिफाफे में डलवाकर रिश्वती राशि का लिफाफ एवं डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मन निरीक्षक के अलमारी में रखवाया जाकर अलमारी को लाक कर चाबी अपने पास सुरक्षित रखी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री प्रवीण गहलोत एवं दोनों गवाहान को गोपनीयता की हिदायत देकर दिनाक 17.11.2025 को कार्यालय में 10 एएम पर उपस्थित आने की हिदायत के साथ रूखसत किया गया। दिनांक 17.11.2025 वक्त 1030 एएम पर पूर्व से पाबंद शुदा परिवादी श्री प्रवीण गहलोत कार्यालय में उपस्थित आया और

बताया कि संदिग्ध अधिकारी का अभी तक मेरे पास फोन काल नहीं आया है और न ही मेरे से मिला है। इसी दरिम्यान पूर्व से पाबंद शुदा दोनों गवाहान श्री जगदीश नारायण व्यास व श्री दिलीप सिंह उपस्थित आये। परिवादी श्री प्रवीण गहलोत को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु निर्देशित कर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो मुख्यालय से संदिग्ध अधिकारी की लोकेशन दिलवाने हेतु निवेदन किया गया। कुछ समय पश्चात ब्यूरो मुख्यालय द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी की लोकेशन उपलब्ध कराने पर उसकी लोकेशन जोधपुर में नहीं होकर बाहर होना पाई गई। जिस पर संदिग्ध अधिकारी के जोधपुर में आने के इंतजार में व्यस्त हुए। वक्त 0350 पी.एम. तक संदिग्ध अधिकारी के फोन काल आने व जोधपुर में उपस्थित आने का इंतजार किया मगर काल नहीं आने के कारण ब्यूरो मुख्यालय से संदिग्ध अधिकारी की पुनः लोकेशन प्राप्त की गई तो उनकी लोकेशन जोधपुर में नहीं होकर बाहर आई। जिस पर अग्रीम ट्रेप कार्यवाही संदिग्ध अधिकारी के जोधपुर में उपस्थित आने व परिवादी से टेलीफोन या रूबरू सम्पर्क करने पर ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाकर दोनों गवाहान को दिनांक 18.11.2025 को कार्यालय में 10 एएम पर उपस्थित होने की हिदायत के साथ रूखसत किया गया एवं परिवादी श्री प्रवीण गहलोत को हिदायत दी गई कि आपसे संदिग्ध अधिकारी जब भी टेलीफोनिक या रूबरू सम्पर्क करे तो मन निरीक्षक पुलिस को सूचित करें ताबाद परिवादी श्री प्रवीण गहलोत को आवश्यक हिदायत के साथ रूखसत किया गया। दिनांक 18.11.2025 वक्त 1000 एएम पर पूर्व से पाबंद शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जगदीश नारायण व्यास व श्री दिलीप सिंह कार्यालय हाजा उपस्थित आये जिन्हें प्रस्तावित गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो चैकी में ही मुकिम रखा गया। वक्त 1100 एएम पर परिवादी श्री प्रवीण गहलोत ब्यूरो चौकी उपस्थित आया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री प्रवीण गहलोत को निर्देशित किया गया कि आप अपने स्तर पर संदिग्ध अधिकारी श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी की उपस्थिति ज्ञात कर बतावें तो जिस पर परिवादी श्री प्रवीण गहलोत ने अपने स्तर पर गोपनीय रूप से पता कर बताया कि संदिग्ध अधिकारी अभी तक अपने कार्यालय व विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं आया है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो मुख्यालय से संदिग्ध अधिकारी की लोकेशन निकलवाने पर उनके कार्यालय व विश्वविद्यालय में नहीं होकर जोधपुर में अन्यत्र स्थान पर लोकेशन आई जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी के उनके कार्यालय या विश्वविद्यालय में उपस्थित आने कर्ा इंतजार किया। वक्त 0330 पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो मुख्यालय से पुनः संदिग्ध अधिकारी लोकेशन निकालने पर संदिग्ध अधिकारी की लोकेशन उनके कार्यालय व विश्वविद्यालय में नहीं आने के कारण आज अग्रीम कार्यवाही संभव नहीं होने के कारण परिवादी श्री प्रवीण गहलोत को हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी सम्पर्क करें या मिले तो तुरन्त मन निरीक्षक पुलिस से सम्पर्क कर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आवे। बाद हिदायत परिवादी को रूखसत किया ताबाद दोनों गवाहान को हिदायत किया गया कि आप बिना स्वीकृति अपना मुख्यालय नहीं छोड़े तथा बुलाने पर तुरन्त ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आवें। तत्पश्चात दोनों गवाहान को ब्यूरो चौकी से रूखसत किया गया। दिनांक 06.12.2025 वक्त 1105 एएम पर परिवादी श्री प्रवीण गहलोत ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया तथा मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी द्वारा मेरे से आज दिन तक सम्पर्क नहीं किया गया है, तथा न ही विश्वविद्यालय में उपस्थित आया है तथा उनके द्वारा विश्वविद्यालय की जा रही अंकेक्षण रिपोर्ट भी तैयार की जाकर विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। जिसमे मेरे विरूद्ध निकाला गया पैरा हटा दिया गया है। इससे जाहिर है कि श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी को अब मेरे द्वारा ब्यूरों में करवाई जा रही कार्यवाही की भनक लग चूकी है अब वह मेरे से राशि प्राप्त नहीं करेगा साथ ही परिवादी ने मन निरीक्षक पुलिस को एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राशि लौटाने का निवेदन किया गया है। जिस पर अग्रमी ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं होने के कारण मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को समस्त हालात निवेदन कर दोनों स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के लिए जरिये फोन निर्देशित किया गया। वक्त 1120 एएम पर पूर्व से निर्देशित किये हुए दोनों गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये जिनको परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाया गया एवं परिवादी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं बताये अनुसार अग्रमी ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं होने के बारे में दोनों स्वतंत्र गवाहान को अवगत करवाया गया। वक्त 1130 एएम पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अलमारी का ताला खोलकर अलमारी में सुरक्षित रखा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को रूबरू गवाहान व परिवादी के बाहर निकालकर कार्यालय के श्री देवाराम कानि. नम्बर 373 से रूबरू गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन एवं मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर के माध्यम से डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन दिनांक 14.11.2025 को परिवादी श्री प्रवीण गहलोत व संदिग्ध अधिकारी श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी लोकल फण्ड अंकेक्षण विभाग जोधपुर के मध्य हुई वार्ता रिकार्ड है को स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर, समझ-समझ कर हूबहू फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब की गई। रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी प्रवीण गहलोत स्वयं की होना तथा दूसरी आवाज संदिग्ध अधिकारी श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी की होने की पहचान परिवादी श्री प्रवीण गहलोत द्वारा की गई। उक्त रिकार्ड वार्ता के कम्प्यूटर के माध्यम से दो पेन ड्राईव तैयार की गई। तत्पश्चात डीवीआर में लगा मैमोरी कार्ड निकालकर, मैमोरी कार्ड कवर में डालकर, एक कपड़े की थैली में डालकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, मन निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। थैली को शील्ड मोहर किया गया। उक्त शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड

की थैली को एवं दोनों पेन ड्राईव खुली हालात में मालखाना प्रभारी श्रीमती मधुमति हैड कानि. 89 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। वक्त 1250 पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान अपनी अलमारी में रखा एक सफेद लिफाफा जिसमे रिश्वती राशि डालकार सुरक्षित रखी गई है को बाहर निकालकर रूबरू गवाहान राशि की गिनती की जाकर नोटों को झड़काकर फिनोफथलीन पाउडर मुक्त किया गया। ताबाद उक्त राशि 20,000 रूपये परिवादी श्री प्रवीण गहलोत को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल रनिंग नोट की गई। सम्पूर्ण कार्यवाही से लोकल फण्ड अंकेक्षण विभाग जोधपुर में पदस्थापित श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी जो सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर का अंकेक्षण करने वाले दल का सदस्य है के द्वारा विश्वविद्यालय में सूचना सहायक के पद पर कार्यरत परिवादी श्री प्रवीण गहलोत को यह कहकर धमकाना कि आप द्वारा सूचना सहायक के पद पर कार्यरत रहते हुए डिप्लामा इन साईबर सिक्यूरीटी की कलासें लेकर मानदेय उठाया गया है जो नियमों के विरूद्ध है जिसका मैंने अंकेक्षण जांच प्रतिवेदन में पैरा निकाला है जिससे आपकी नौकरी भी जा सकती है। उक्त पैरा हटाने की एवज में आप मुझे यदि 1,00,000 रूपये देते हो तो मैं आपका अंकेक्षण रिपोर्ट से पैरा हटा दूगां। परिवादी द्वारा राशि ज्यादा होने की विनती करने पर पहले 50,000 रूपये मांगना बाद में 20,000 रूपये लेने के लिए सहमत हुआ। परिवादी की उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 14.11.2025 को ब्यूरो का कानि. मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड के परिवादी के साथ भेजकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता परिवादी श्री प्रवीण गहलोत व संदिग्ध अधिकारी श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी के मध्य करवाई जाकर वार्ता डीवीआर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाई गई। उक्त रिकार्ड वार्ता से आरोपी अधिकारी श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी द्वारा सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर का किये जा रहे अंकेक्षण प्रतिवेदन में परिवादी के विरूद्ध सूचना सहायक के पद पर रहते हुए नियम विरूद्ध मानदेय उठाने का पैरा नहीं निकालने की एवज में 20,000 रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई जिस पर दिनांक 15.11.2025, 17, 18.11.2025 को आरोपी के विरूद्ध रूबरू स्वतंत्र मौतबिरान अग्रीम ट्रेप कार्यवाही करने का प्रयास किया गया मगर आरोपी की उपस्थिति जोधपुर शहर में नहीं होकर अन्यत्र होने पर ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं हो सकी। तत्पश्चात परिवादी की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी को ब्यूरो में की जा रही कार्यवाही की भनक लग जाने के कारण अग्रीम ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं हो सकी। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री तेजाराम सहायक लेखाधिकारी द्वारा सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर का किये जा रहे अंकेक्षण प्रतिवेदन में परिवादी के विरूद्ध विश्वविद्यालय में सूचना सहायक के पद पर रहते हुए डिप्लामा इन साईबर सिक्यूरिटी का कलासें लेकर नियम विरूद्ध मानदेय उठाने का पैरा नहीं निकालने की एवज में 20,000 रूपये की मांग कर आपराधिक कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री तेजाराम रावल पुत्र श्री राजूराम रावल उम्र 46 वर्ष पेशा नौकरी निवासी मुकाम पोस्ट गागोडा वाया गुलाबपुरा जिला भिलवाडा हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रिय जोधपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण में पंजिबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। भवदीय, (मनीष चौधरी) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष चौधरी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री तेजाराम रावल पुत्र श्री राजूराम रावल उम्र 46 वर्ष पेशा नौकरी निवासी मुकाम पोस्ट गागोडा वाया गुलाबपुरा जिला भिलवाडा हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रिय जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कैलाश दान जुगतावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बालोतरा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 465 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 430-33 दिनांक 04.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर रेंज 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. जोधपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KAILASH DAN JUGTAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/03/2026 18:14:21

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1980				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)